"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 180] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 मई 2018 — ज्येष्ठ 4, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 मई 2018

अधिसूचना
सं. 23/2018–राज्य कर

क्रमांक एफ–10–23/2018/वाक/पांच (37). – छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उप–नियम(5) के साथ पठित छत्तीसगढ़ माल और सेवा अधिनियम, 2017(2017 का 7) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफ़ारिश पर छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना संख्या 16/2018 राज्य कर क्रमांक एफ–10–15/2018/ वाक/पांच(30) नया रायपुर, दिनांक 23 मार्च, 2018 में, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना की सारणी की क्रम संख्या 1 के स्तंभ(3) में, "20 मई, 2018" अंकों और शब्द के स्थान पर, "22 मई, 2018" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

2. यह संशोधन 18 मई, 2018 से प्रभावशील माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., राज्य कर आयुक्त एवं विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 मई 2018

क्रमांक एफ–10–23/2018/वाक/पांच (37). – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–23/2018/वाक/पांच (37), दिनांक 22–05–2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., राज्य कर आयुक्त एवं विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 22nd May 2018

NOTIFICATION
No. 23/2018 – State Tax

No. F-10-23/2018/CT/V (37). – In exercise of the powers conferred by section 168 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), read with sub-rule(5) of rule 61 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, on the recommendations of the Council, the following amendment in the notification no. 16/2018- State Tax, no. F-10-15/2018/CT/five(30) dated 23rd March, 2018 of Commercial Tax Department, Government of Chhattisgarh, is hereby made, namely :-

In the said notification, in the Table, against serial number 1, in column (3), for the figures, letters and word "20th May, 2018", the figures, letters and word "22nd May, 2018", shall be substituted.

2. This amendment shall deemed to have come into force from 18th May, 2018.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Commissioner State Tax and Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.